

## संयुक्त अरब अमीरात के नए वीजा नियम

हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने पर्यटकों के साथ-साथ संयुक्त अरब अमीरात में काम करने और रहने की इच्छा रखने वालों को आकर्षित करने के लिये नए वीजा नियमों की घोषणा की है।

- वीजा एक आधिकारिक दस्तावेज़ होता है जो धारक को कानूनी रूप से किसी देश में प्रवेश की अनुमति देता है।

### मुख्य बदलाव:

- **वीजा की तीन श्रेणियाँ:** एंट्री वीजा, ग्रीन वीजा और गोल्डन वीजा।
- पहली बार, संयुक्त अरब अमीरात ने एंट्री वीजा प्रस्तुत किया है जिसमें **आगंतुकों को मेज़बान या प्रायोजक की आवश्यकता नहीं होती है**। एंट्री वीजा या पर्यटक वीजा अब एक या अधिक बार देश में आने के लिये उपलब्ध होगा जो पूर्व की **30 दिनों की अवधि के बजाय अब 60 दिनों के लिये वैध होगा**।
- **ग्रीन वीजा** एक प्रकार का नवीकरणीय-नविस वीजा है जो वदेशियों को संयुक्त अरब अमीरात में नविस करने या रोज़गार के बनिा, पाँच वर्ष के लिये अहर्ता प्रदान करता है। यह पछिले नविस वीजा की जगह पर्युक्त हुआ है जो केवल दो वर्ष के लिये वैध था।
- **गोल्डन वीजा** धारकों को 10 वर्ष तक के लिये **दीर्घकालिक नवीकरणीय नविस वीजा** प्रदान करता है। गोल्डन वीजा के लिये पात्र लोगों में नविशक, उद्यमी, असाधारण प्रतभा वाले व्यक्ति जैसे शोधकर्त्ता, चकितिसा पेशेवर और वैज्ञानिक एवं ज्ञान के क्षेत्र के लोग तथा उत्कृष्ट छात्र और स्नातक शामिल हैं।
  - **योग्य पेशेवर 30,000 AED (संयुक्त अरब अमीरात दरिहम)** की न्यूनतम मासिक आय के साथ दीर्घकालिक नविस वीजा प्राप्त कर सकते हैं। नविशकों को कम-से-कम 20 लाख AED की संपत्ति खरीदने पर भी वीजा मिल सकता है।
- अद्यतन वीजा प्रणाली जीवन की **गुणवत्ता में सुधार लाने और संयुक्त अरब अमीरात में रहने, काम करने तथा नविश करने के अनुभव को सुखद एवं खुशहाल बनाने का एक प्रयास है**।

### भारतीयों को लाभ:

- **संयुक्त अरब अमीरात में लगभग 3.5 मिलियन भारतीय प्रवासी हैं जो इसकी कुल आबादी का लगभग 30% है।**
- देश में प्रवेश और नविस करने की प्रणाली के पुनर्गठन से कार्य एवं नविश के लिये **एक आदर्श गंतव्य के रूप में देश की छवि को और बढ़ावा मिलेगा**।
- इससे न केवल हज़ारों प्रतभाशाली पेशेवर, संयुक्त अरब अमीरात में रोज़गार के नए अवसर तलाश पाएंगे बल्कि **पर्यटक अब सरलीकृत वीजा प्रणाली के साथ परेशानी-मुक्त आवागमन का अनुभव कर सकेंगे**।

### स्रोत: द हिंदू